न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 32/2013 दायरा दिनांक 29.01.2013

GCMS CASE NO- 2013/00729

तुलछाराम पुत्र डूंगरराम जाति ब्राहमण निवासी खारिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(प्रार्थी)

बनाम

1. हरीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी गांव खारिया हाल अरजनसर तहसील लूणकररणसर जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः—

1. श्री रामप्रताप तिवाडी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 2

:: निर्णय :: दिनांकः— 16.01.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपने नाम से स्वयं को गांव खारिया का पुराना निवासी बताते हुए गांव खारियां के खसरा नं. 22/3, 22/4, 22/6, 22/12 व 25/7 में कुल 26.13 बीघा बारानी भूमि का आरजी पर बिना कब्जा काश्त के आवंटन करवा रखी है। मौका पर रोही खारिया के खसरा नं. 25/2 की 11—12 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। बिना कब्जा सरकार को धोखा देकर आवंटन व नवीनीकरण करवाता आ रहा है। वर्तमान में बिना कब्जा खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में रोही खारिया तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 22/4, 22/6, 22/12 व 25/2 की 26—13 बीघा भूमि टी.सी. पर आवंटन करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिया था जिसकी रिपोर्ट में खारिया के खसरा नं. 25/2 की 11—12 बीघा पर अप्रार्थी नं. 1 का कब्जा ना होना अंकित पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। यह भूमि पूर्व में उपनिवेशन अधिनियम से अधिशाषित थी वर्तमान में उपनिवेशन मुक्त होकर भू—राजस्व अधिनियम से अधिशासित है व अप्रार्थी नं. 1 उक्त भूमि का बिना कब्जा खातेदार प्राप्त कर विक्रय करने को प्रयासरत है। अतः कब्जा ना होने से रोही खारिया तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 25/2 की 11—12 बीघा आरजी काश्त गलत कथन कर आवंटित करवाने व कब्जा काश्त ना होने से अप्रार्थी की भूमि निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना—पत्र प्राप्त होने पर बाद सुनवाई अतिरिक्त कलैक्टर, सूरतगढ़ ने अप्रार्थी का कब्जा रोही खारिया के खसरा नं. 25/2 की 11—12 बीघा बारानी का ना होना स्वीकार कर आदेश दिनांक 10.03.2011 को रोही खारिया के ख. नं. 25/2 की 11—12 बीघा बारानी भूमि का आवंटन अप्रार्थी नं. 1 के नाम से निरस्त किया जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अप्रार्थी नं. 1 अपील संख्या 117/2011 अनवान हरीराम बनाम तुलछाराम पेश की गई जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 17.12.2012 को अपील स्वीकार कर अपीलांट आवंटिती की कब्जा काश्त की पुनः जांच एवं अधिकार क्षेत्र व अपीलांट को लम्बे समय आवंटिती होने पर प्राप्त अधिकारों आदि की जांच कर व पूर्व निर्णय दिनांक 10.03.2011 को निरस्त कर पुनः जांच कर निर्णय करने का आदेश प्रदान किया गया है। आदेशों के अनुरूप पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त की पक्षकारों ... व रिमाण्ड निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुनः साक्ष्य प्राप्त कर बहस पक्षकारान सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

748

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी (शिकायतकर्ता) ने पूर्व कथनों व शिकायत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ना तो गांव खारिया में वर्तमान में निवास करता है व ना ही उसका पेशा काश्तकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में अरजनसर तहसील लूणकरनसर में निवास करता है एवं वर्तमान में दुकानदारी कर रहा है। मौके पर खसरा नं. 25/2 की 11–12 बीघा पर उसकी काश्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने आवंटन शर्तो का उल्लघन किया है। इसलिये अप्रार्थी को आवंटित रकबा यथा गावं खारिया के खसरा नं. 25/2 के 11–12 बीघा भूमि को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी का रकबा बारानी है। वर्षा ना होने पर वह मेहनत मजदूरी हेतु अरजनसर जाता है। अप्रार्थी का मुख्य पेशा काश्तकारी है इसे पूर्व निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा विवेचन में माना गया है। प्रार्थी एक शातिर व्यक्ति है उसकी भूमि अप्रार्थी से चिपती है जिस पर कुछ समय के लिये प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा किया था अब वह कब्जा छोड़ चुका है। वर्तमान में स्वयं प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी का रोही खारिया के ख. नं. 25/2 की 11–12 बीघा भूमि मिलाते हुए कुल आरजी आवंटन 26–13 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। शिकायत 14 (4) आवंटन शर्तों की परिधी में नहीं आती। प्रार्थी द्वारा किस प्रावधान के अन्तर्गत शिकायत कर रहा है स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी आवंटन हुई कुल भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी है। पत्रावली माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड होकर आने के पश्चात अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में पुनः कब्जा की जांच कर भरी दैनिक डायरी की नकल में वर्तमान में अप्रार्थी हरीराम का कब्जा होना बताया गया है। इस पर स्वयं शिकायतकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर भी किये हुये है। शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा छोड़ दिये जाने का स्टाम्प पर शपथ–पत्र भी पेश किया हुआ है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत वापिस लेने का निवेदन भी अदालत में किया जा चुका है। जो कि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.06.2017 व दिनांक 07.09.2020 पर भी अंकित है इसलिये शिकायतकर्ता अब इस प्रकरण में कोई उज्र पेश नहीं कर सकता है। शिकायत आधारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू (1) रेवन्यू 2016 पेज 416 एवं आरबीएल 2009 पेज 300 की ओर ध्यान दिलाया ।

अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज ने दौराने बहस प्रकरण में राज्यहित को ध्यान मे रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवोकन किया जिससे पाया कि यह शिकायत प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी की रोही खारिया तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 25/2 की 11–12 बीघा भूमि की आवंटन सीमा तक आवंटिती का कब्जा ना होने के आधार पर आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। यह आवंटन आवंटिती को सम्वत् 2040 वर्ष 1983–84 का बनता है। कुल आवंटन विभिन्न खसरों में 26–13 बीघा का था जिसमें खसरा नं. 25/2 का 11–12 बीघा विवादित प्रार्थी द्वारा स्वयं का कब्जा बताकर किया जा रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट स्वयं प्रार्थी के शपथ–पत्र दिनांक 09.12.2013 अनुसार प्रार्थी ने खसरा नं. 25/2 की 11–12 बीघा पर कब्जा छोड़ दिया व वर्तमान में कब्जा अप्रार्थी का होना पाया जा रहा है। यदि प्रार्थी के पूर्व कब्जे के कथन को माना भी जावे तब वह अतिचारी का कब्जा है व भूमि काश्त होना पूर्ण रुप से साबित है। अप्रार्थी का पेशा काश्तकारी नहीं बल्कि दुकानदारी है, पूर्व निर्णय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ में नहीं माना गया। आज भी अन्य पेशा अप्रार्थी का होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है। सम्वत् 2040 का आवंटन अतिचारी को बढ़ावा देने के लिये मानने योग्य नहीं है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू (1) रेवन्यू 2016 पेज 416 एवं आरआरटी 2008 (1) पेज 598 के अनुसार **Allotment cancelled after 7 years of allotment held allottee became Khatedar of land automatically after expiry of three years from the date of allotment** में लम्बे समय बाद आवंटन निरस्ती के अधिकारों को सीमित करता है। इस प्रकार प्रकरण में अधिक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भली भांति चस्पा होते है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में 30–40 साल बाद आवंटन निरस्ती न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग की अवधारण बनाता है। इस प्रकरण में कथन प्रार्थी उसके दिये शपथ–पत्र के विपरीत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन सिद्व होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। एवं अप्रार्थी का आवंटन यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहिसत अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:28:43 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner